संख्या-3/2015/174/का-2/2015-4/1/2007

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक 08 अप्रैल, 2015

विषय: निजी क्षेत्र की ऐसी इकाइयाँ, जिसमें राज्य सरकार की पूँजीगत भागीदारी 11 प्रतिशत से लेकर 49 प्रतिशत है, में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

जिन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से राज्य सरकार द्वारा सेवायें दी जा रही हैं, उनमें भी भविष्य में निजी क्षेत्र की सहभागिता की संभावना के दृष्टिगत निजी क्षेत्र की ऐसी इकाइयों, जिसमें राज्य सरकार की पूँजीगत भागीदारी 11 प्रतिशत से लेकर 49 प्रतिशत है, में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए क्रमश: 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-4/1/2007-का-2/2007, दिनाँक 11-01-2008 के माध्यम से आदेश निर्गत किये गये थे।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश का भलीभाँति अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा अनुपालन आख्या से कार्मिक विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/2015/174(1)/का-2/2015-4/1/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
6 रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in